<u>ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन</u>
<u>अवधि 01.04.13 से 31.03.16</u>

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चंगर विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति सिमरो देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री बर्फी राम	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति बिन्दु बाला	01.04.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत चंगर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में
1	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.04
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.83
3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.09

4	9	निर्माण कार्य में स्टील का सम्भावित दुरुपयोग	0.04
5	10	खेल सामग्री के क्रय में अनियमित /अधिक भुगतान	0.03

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार , आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 18.07.16 से 21.07.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	03/2014	03/2014
2014-15	03/2015	03/2015
2015-16	03/2016	08/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹ 7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 163 दिनांक 21.07.16 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-171009 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. <u>वितीय स्थिति</u> :-

ग्राम पंचायत चंगर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत चंगर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	16419	24347	40766	25865	14901
2014-15	14901	68668	83569	16729	66840
2015-16	66840	120652	187492	19647	167845

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत चंगर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	755523	2000079	2755602	2163884	591718
2014-15	591718	1529209	2120927	1457799	663128
2015-16	663128	1843483	2506611	1023500	1483111

4.1 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 167845/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खाते में शेष : ₹ 167845/-
(PNB 13002)

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1483111/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1483111/-

बैंक खाता संख्या	**राशि**
Indira aavas Yojna 19778	2563
General Fund 18186	168700
MNREGA 11606	0
13TH FC 12863	1081482
RAY 34494	30061
SBM 36836	200305

कुल राशि **1483111**

4.2 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-</u>

ग्राम पंचायत चंगर की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 <u>पंचायत राजस्व ₹4420/- की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹4420 /- की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	0	14690	14690	13150	1540
2014-15	1540	8670	10210	7590	2620
2015-16	2620	8820	11440	8490	2950

2. जांच में पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए गृहकर के रूप में देय राशि की मांग वर्षवार न करके इकट्ठी वर्ष 2013-14 में की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि यदि इस राशि को वर्षवार मांग जारी करके वसूल किया गया होता तो ब्याज के रूप में पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी । अतः भविष्य में गृह कर की मांग व वसूली प्रति वर्ष की जानी सुनिश्चित करें ।

3. गृहकर की बकाया राशि ₹870/- को अग्रेनित (Carry Forward) न करना : - जांच में पाया कि दिनांक 31.03.12 को गृहकर की राशि ₹ 870/- वसूली हेतु बकाया थी जो कि गृहकर की बकाया सूची में अग्रेनित नहीं किए गए थे जिससे पंचायत को वितीय हानि हुई थी । अतः इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें ।

4. गृहकर के रूप में ₹600/- की कम मांग व वसूली करना :- जांच में पाया कि वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में गृहकर के रूप में ₹ 600/- की कम मांग व वसूली की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

परिवार रजिस्टर पृष्ठ	वर्ष	परिवार रजिस्टर में दर्ज परिवार	जितने परिवारों से गृहकर की वसूली की गई	कुल परिवार जिनसे गृहकर न वसूला गया	गृहकर की दर	कम वसूली गई राशि
85	2013-14	288	280	8	30	240
87	2015-16	306	294	12	30	360

5. जांच में पाया कि गृहकर का रजिस्टर नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था अर्थात गृहकर रजिस्टर में न तो पृष्ठों का उल्लेख था एवं न ही गृहकर रजिस्टर में दर्ज राशि को सत्यापित किया गया था । अतः गृहकर के रजिस्टर को नियमों के अनुसार तैयार करके सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें ।

6. भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली नियमित रूप से नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे जिस कारण से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में भू-राजस्व की राशि वसूली हेतु शेष थी । अतः बकाया भू- राजस्व की वसूली करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 <u>अनुदान ₹14.83 लाख का उपयोग न करना</u> **:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹ 1483111/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि

का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने जैसे निविदायें इत्यादि आमंत्रित करने एवं नियम 69 , 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹109441/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं स्टॉक /स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना एवं सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 निर्माण कार्य में ₹3610/- के मूल्य की स्टील का सम्भावित दुरुपयोग :-

निर्माण कार्य " शमशान घाट , गलोट कलां " के निष्पादन की प्रविष्टियाँ जो कि माप पुस्तिका 6188 के पृष्ठ संख्या 14 में की गई थी , की जांच में पाया कि उक्त निर्माण कार्य में तकनीकी सहायक द्वारा कुल 614 किलोग्राम स्टील का आकलन (assessment) किया गया था जबकि वाउचर संख्या 15 दिनांक 31.08.15 द्वारा उक्त कार्य के निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार 690 किलोग्राम स्टील का क्रय करके पंचायत खाते से भुगतान किया गया था :-

वाउचर संख्या 15 दिनांक 31.08.15	Bill No. 2644 Dated 13.02.15 M/s Gautam steel sales, Saloni, ` 37991/-	12 mm steel – 300 KG 10 mm steel – 291 KG 8 mm steel – 99 KG Total - 690 KG

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में जरूरत से अधिक सामग्री का क्रय करके 76 किलोग्राम (690-614) स्टील का दुरुपयोग किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹ 3610/- (76x 47.50) की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें ।

10 खेल सामग्री के क्रय में ₹3000/- का अनियमित /अधिक भुगतान :-

वाउचर संख्या 15 दिनांक 27.10.14 में बिल संख्या 13839 दिनांक 23.09.14 द्वारा M/s EM CEE CEE Sports agencies, Jalandhar से ₹41850/- की निम्नलिखित खेल सामग्री का क्रय किया गया था :-

सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि
Cricket bat (EW)	5	4000/- each	20000.00
Badminton Racket	20	325/- each	6500.00
Shuttle Cock	5	200/- each	1000.00
Volley ball net	5	600/- each	3000.00
Badminton Net	5	400/- each	2000.00
Batting Gloves	10	350/- each	3500.00
Volley Ball	10	500/- each	5000.00
		Total	41000.00

Discount	1537.00
CST	2387.00
Total	41850.00

उक्त वाउचर से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या -4-Ind/SP-3(U-01)44/2011 दिनांक 26.06.14 द्वारा Cricket Bat (EW) की दर ₹ 3400/- प्रति बैट निर्धारित की गई थी जबकि उक्त क्रय में 5 Cricket Bat (EW) ₹ 4000/- प्रति बैट की दर से क्रय किए गए थे। अर्थात उक्त क्रय में ₹ 3000/- (5x600) का आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(6)10/2016–खण्ड–1–1085–1088 दिनाँकः 16.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी,हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.